

कमांक: कोर्ट/2021/ 238

दिनांक: 23-07-2021

राजस्व प्रा. पत्र संख्या...116.../2021

2021/86

प्रेषित:-

तहसीलदार :

सिरौही



तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र कमांक भू.अ./2021/641 दिनांक 12.03.2021 के सलग्न प्रार्थी हंसमुखलाल पुत्र श्री भीखाजी जाति पुरोहित निवासी मण्डवाडा के प्रार्थना पत्र व प्रार्थी के संयुक्त प्रार्थना पत्र की कृषि आराजी मौजा मण्डवाडा पटवार मण्डल उड की जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता संख्या नया 49, प्रार्थी हंसमुखलाल पुत्र श्री भीखाजी जाति पुरोहित निवासी मण्डवाडा का प्रार्थना पत्र दिनांक 13.3.2020 मय पटवार मण्डल उड जांच रिपोर्ट व जमाबंदी संवत् 2070-73 खाता संख्या नया 49 की प्रति पेश कर प्रार्थी ने अपना हिस्सा दुरुस्त करने हेतु निवेदन किया है। पटवारी हल्का उड की जांच रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार ग्राम मण्डवाडा की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता सं 49 खसरा नम्बर 673, 674, 675, 774 व 775 अमृता पुत्री प्रकाश हिस्सा 1/12960 जाति पुरोहित सा. देह खातेदार व अन्य 95 दर्ज है। तहसीलदार सिरौही की रिपोर्ट अनुसार मौजा मण्डवाडा की चालू जमाबन्दी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 49 में कांता पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/40, नाथीदेवी पत्नि किस्तुरजी हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/40, मुकेश कुमार पुत्र किस्तुरजी हिस्सा 1/60 के स्थान पर 1/40, मोवन पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/40, शंकर पुत्र रावता हिस्सा 7/240 के स्थान पर 1/48, संतोष पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/60 के स्थान पर 1/40 व हंसमुखलाल दत्तक पुत्र भीखाजी हिस्सा 1/24 के स्थान पर 1/12 सर्वजातियान पुरोहित सा.देह खातेदार होना था, जो सेग्रीगेशन जमाबंदी को तैयार करते समय अशुद्ध दर्ज हो गया है। उपरोक्त प्रार्थी के हिस्से की त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा में आने से प्रार्थी का सही वास्तविक हिस्सा अंकित करना न्यायोचित प्रतीत होता है अन्यथा प्रार्थी को भविष्य में जाति सुधरवाने में कानूनी अडचने सभी के आधार पर प्रार्थी को मानसिक तनाव व आर्थिक नुकसान से भी गुजरना पड सकता है। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय उक्त वर्णित दस्तावेज प्रतियों व पटवारी हल्का उड की जांच रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिरौही की उक्त अनुशंषा रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन कर विवेचन के उपरान्त उक्त सभी के आधार पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरौही भूमिधारी को पुनः मुल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड की प्रतियों को भेजकर आदेश दिये जाते है कि प्रस्तावानुसार वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-73 के खाता संख्या 49 में कांता पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/24, नाथीदेवी पत्नि किस्तुरजी हिस्सा 1/24, मुकेश कुमार पुत्र किस्तुरजी हिस्सा 1/60, मोवन पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/24, शंकर पुत्र रावता हिस्सा 7/240, संतोष पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/60 व हंसमुखलाल दत्तक पुत्र भीखाजी हिस्सा 1/24 सर्वजातियान पुरोहित सा.देह खातेदार के स्थान पर 2070-73 के खाता संख्या 49 में कांता पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/40, नाथीदेवी पत्नि किस्तुरजी हिस्सा 1/40, मुकेश कुमार पुत्र किस्तुरजी हिस्सा 1/40, मोवन पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/40, शंकर पुत्र रावता हिस्सा 1/48, संतोष पुत्री किस्तुरजी हिस्सा 1/40 व हंसमुखलाल दत्तक पुत्र भीखाजी हिस्सा 1/12 सर्वजातियान पुरोहित सा.देह की शुद्धि कर दर्ज/राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट शीघ्र इस न्यायालय में भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओं.)
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरौही
सिरौही (राज०)